राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिंग / नर्स–2 / एएचडब्ल्यू–117 / 2019 /   दिनांक

–: आदेश :–

एस बी सिविल मिस एप्लीकेश सख्या 457 / 2016 अन्तर्गत एस बी सिविल रिट पिटिशन सख्या 15042 / 2015 कृष्णदत्त चौधरी बनाम सरकार व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16 01 2017 की पालना मे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु निवेदन किया है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16 01 2017 निम्न प्रकार है–

"Accordingly, in view of the limited prayer addressed; the modification sought for, is hereby allowed.

The petitioner is allowed to address a representation within four weeks, hereinafter; enclosing a copy of the order dated 11th December, 2013.

In case a representation is so addressed within the period aforesaid; the state respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order, as expeditiously as possible. However, in no case later than eight weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

With the observation and directions, as indicated above, the application seeking modification, stands disposed off."

याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय की पालना मे दिनाक 10 02 2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 6500–10500 के स्थान 7500–12000 स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया है।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16 01 2017 एस बी सिविल रिट पिटिशन 10028 / 2011 देवी सिह स्वर्णकार बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनाक 25 08 2011 से पूर्णतः कवर है तथा उक्त प्रकार के प्रकरणो मे नो–अपील का दिनाक 07 06 2017 को ईकजाई निर्णय लिया जा चुका है। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनाक 10 02 2017 का पूर्ण मनन एव विवेचन किये जाने पर याचिकाकर्ता को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देवी सिह स्वर्णकार को दिये गये वेतनमान के अनुसार ही याचिकाकर्ता को भी वेतनमान 6500–10500 के स्थान पर 7500–12000 स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमाक नर्सिंग / नर्स–2 / एएचडब्ल्यू–117 / 2019 / 721   दिनाक 06/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.–

1 सबधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारा।
4 सबधित याचिकाकर्ता को उनके रिट मे दिये पते पर।
5 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6 आदेश / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।